न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/5677/2003/टोंक

1– रामकल्याण पुत्र श्री घासी
2– रामदयाल पुत्र श्री घासी
3– श्रीमति रामाबाई पुत्र श्री घासी
4– श्रीमति कमला पुत्र श्री घासी
5– श्रीमति मधु पुत्री श्री घासी
जाति जाट निवासी डारडा हिन्द, तहसील व जिला टोंक।

....अपीलार्थीगण

बनाम

1– कालू पुत्र श्री रामनाथ, जाति जाट निवासी डारडा हिन्दू, तहसील व जिला टोंक।
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, टोंक।

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अजीत सिंह, उप राजकीय अधिवक्ता।
श्री जे0के0पारीक, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

––

निर्णय

दिनांकः 03–07–19

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा अपील सं0 106/2001 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 29–09–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने एक राजस्व वाद घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती का प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध सहायक कलक्टर, मुख्यालय टोंक के न्यायालय में पेश किया, जिसे उन्होंने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब

किया। प्रतिवादी ने जवाब पेश कर वाद के कथनों से इन्कार किया। विचारण ने दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21–03–2001 द्वारा वादी का वाद डिक्री किया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 29–09–2003 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 व मिलान क्षैत्रफल एवं जमाबंदी संवत् 2047 से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजियात अंतिम चौसाला जमाबंदी में अपीलार्थीगण के पूर्वज श्री माधो पिसर मुतबन्ना जग्गा की खातेदारी की आराजियात है लेकिन हाल राजस्व अभिलेख में बंदोबस्त विभाग ने विवादित आराजी को प्रत्यर्थी सं0 1/प्रतिवादी के नाम अंकित कर दिया, जिसका उन्हें क्षैत्राधिकार नहीं था। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने आर0आर0टी 2001 (1) पेज 244 व आर0आर0टी0 2008 (1) पेज 151 एवं ए0आई0आर 2007 (एस0सी0) पेज 2025 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए। विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर तनकी सं0 1 से 3 का निर्णय वादीगण के पक्ष में पारित किया। उनका कथन था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने माना कि विवादित आराजी सन् 1942 खसरा बंदोबस्त में तत्कालीन खसरा

नं0 2414 श्री जग्गा की खातेदारी में दर्ज है लेकिन उस पर विवादित शब्द अंकित है, मात्र उक्त अंकन के आधार पर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया जबकि सन् 1942 के पश्चात् का राजस्व अभिलेख एवं अंतिम चौसाला जमाबंदी उनके समक्ष अभिलेख पर थी तथा उसके स्पष्ट था कि विवादित भूमि सन् 1942 से लगातार श्री जग्गा की खातेदारी भूमि रही है और अपीलार्थीगण के पूर्वजों के समय से कदीमी कब्जे काश्त में लगातार चली आ रही है। किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अंतिम चौसला में दर्ज प्रविष्टि बाबत् अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया। उनका यह भी तर्क था कि प्रतिवादी सं0 1 ने अपने जवाबदावे में स्वंय यह अंकित किया है कि विवादित भूमि श्री माधो की जमाबंदी से प्रतिवादी के नाम दर्ज की गई जबकि भू प्रबंध विभाग को सहमति के आधार पर भी पूर्व प्रविष्टि को परिवर्तित करने अथवा किसी नये व्यक्ति को खातेदारी प्रदान करने का कोई क्षैत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस तथ्य को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नजरअंदाज करते हुए अपने निर्णय में अंकित किया कि विचारण न्यायालय यह देखे कि पूर्व प्रविष्टि को परिवर्तित क्यों किया गया, गलत है, क्योंकि बंदोबस्त विभाग द्वारा पूर्व प्रविष्टि को परिवर्तित करना उसके समक्ष उपलब्ध जवाबदावे से स्वंय स्पष्ट था। उनका यह भी तर्क था कि वादीगण द्वारा दावा वास्ते घोषणा खातेदारी हेतु पेश किया गया, जिसके लिए अधिनियम में कोई मियाद निर्धारित नहीं है, ऐसी स्थिति में दावा मियाद बाहर नहीं था। उनका यह भी कथन था कि प्रथम अपील न्यायालय का यह मानना कि विचारण न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 सी0पी0सी0 की अवहेलना की है, त्रुटिपूर्ण है। विचारण न्यायालय ने तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपना निर्णय प्रदान किया जबकि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय आदेश 41 नियम 30 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के विपरीत है, क्योंकि उनके द्वारा किसी भी

तनकी को अपने निर्णय में कोई स्थान प्रदान नहीं किया गया। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि प्रथम अपील न्यायालय का निर्णय विधिक दृष्टि से उचित नहीं होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है, अतः द्वितीय अपील स्वीकार की जावें।

5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का आदेश न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता तथा उन्होंने जो तनकियात निर्मित की, वे सही रूप से निर्मित नहीं की गई। उनका यह भी तर्क था कि विचारण न्यायालय ने निर्णय तनकीवार नहीं किया, जो कि स्पष्ट रूप से आदेश 20 नियम 5 सी0पी0सी0 की अवहेलना करना दर्शित करता है, ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की। उनका यह भी तर्क था कि वादी को अपना प्रकरण स्वंय सिद्ध करना होता है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने 2011 (2) आर0आर0टी0 पेज 1337, 1993 आर0आर0डी0 पेज 246 के न्यायिक दृष्टांत का सहारा लिया। उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत कब्जा होना नितांत आवश्यक है। बिना कब्जे के घोषणा का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने 1990 आर0आर0डी0 425, 2011 (2) आर0आर0टी0 पेज 1170 के न्यायिक दृष्टांत का सहारा लिया। उनका तर्क है कि जिन आधारों पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है वह पूर्णतया न्यायोचित है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने 2018 (1) डब्ल्यू एल सी (राज0) पेज 610 के न्यायिक दृष्टांत का सहारा लिया। अन्त में द्वितीय अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– विचारण न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने के उपरान्त हम यह पाते है कि वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी–1 नकल जमाबंदी संवत् 2020 से 2023, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श पी–3, नकल जमाबंदी संवत 2047 से 2050 प्रदर्श पी–2 पेश किए गए, जिनसे यह स्पष्ट रूप से सिद्ध था कि विवादित आराजी अंतिम चौसाला जमाबंदी में वादीगण के पूर्वज श्री माधो पिसर मुतबन्ना जग्गा की खातेदारी की आराजियात थी, जिसे हाल राजस्व अभिलेख में बंदोबस्त विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश एवं बिना रहन बेचान मुन्तकिल किए पूर्व प्रविष्टि को परिवर्तित कर विवादित आराजी प्रत्यर्थी/प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज कर दिया गया। विधि अनुसार बंदोबस्त विभाग को पूर्व प्रविष्टियों को ही दौहराने का अधिकार है। बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के पूर्व प्रविष्टियों को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सन् 1942 के पश्चात् का राजस्व रिकार्ड एवं अंतिम चौसाला जमाबंदी विचारा न्यायालय के समक्ष पेश की गई है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि सन् 1942 से लगातार श्री जग्गा की खातेदारी की भूमि रही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी सं0 1 ने अपने जवाबदावे में स्वंय यह अंकित किया है कि विवादित भूमि श्री माधो की रजामंदी से प्रत्यर्थी/प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज की गई है जबकि भू प्रबंध विभाग को सहमति के आधार पर भी पूर्व प्रविष्टि को परिवर्तन करने अथवा किसी नये व्यक्ति को खातेदारी प्रदान करने का कोई क्षैत्राधिकार

प्राप्त नहीं है। प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी/प्रतिविादी सं0 1 द्वारा उसके कब्जे काश्त के बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा मौखिक बयान नहीं करवाए गए। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय अपीलार्थीगण/वादीगण के वाद को सही रूप से डिक्री किया था किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्षो को तकनीकी आधारों पर गलत मानते हुए साक्ष्य से परे जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है। अतः द्वितीय अपील स्वीकार किया जाना समीचीन है।

8– उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर भू प्रबंध एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–09–2003 निरस्त किया जाकर सहायक कलक्टर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–03–2001 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य